(वाद संख्या–4634/18)

21.06.2021

परिवादी पूजा कुमारी उपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया गया।

प्रसंगाधीन मामला भा0द0स0 की धाराओं–366(ए)/ 376/34 से संबंधित चन्द्रमंडी थाना कांड सं0–29/2019, दिनांक–24.03.2018 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, जमुई** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झाझा के** के प्रतिवेदनानुसार अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में दो प्राथिमिकी अभियुक्तों, रिको पासवान तथा भीमलाल पासवान, के विरूद्ध भा0द0सं0 की धाराओं 366(ए)/ 376/34 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है तथा उनके गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।

तत्पश्चात् प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधान के संबंध मे राज्य आयोग द्वारा प्रगति प्रतिवेदन की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक, जमुई द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन मे राज्य आयोग को सूचित किया है कि प्रसंगाधीन कांड मे प्राथमिकी अभियुक्तो विनोद यादव, चतुर्गुन पासवान, बालेश्वर पासवान, शिकों पासवान एवं विक्रम पासवान को निर्दोष दर्शाते हुए दो प्राथमिकी अभियुक्तों , रिको पासवान, तथा भीमलाल पासवान, के फिरार अवस्था में, उनके विरूद्ध **आरोप–पत्र** समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रसंगाधीन कांड की पीड़िता (परिवादी, पूजा कुमारी) से राज्य आयोग द्वारा प्रत्युत्तर की मांग की गई। उनका अपने प्रत्युत्तर मे कथन है कि पुलिस द्वारा जानबूझ कर टेबल पर बैठ कर ही बिना साक्षियों का बयान लिये ही अनुसंधान समाप्त किया जा रहा है साथ–ही–साथ इतने गंभीर मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अब जबकि, पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन मामले में अन्वेषणोपरान्त न्यायालय में **आरोप–पत्र** समर्पित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिवादी अगर चाहे तो वह संबंधित न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकती है।

पुलिस अधीक्षक, जमुई के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका हो राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **पुलिस अधीक्षक, जमुई** से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नको सहित) की प्रति संलग्न करने हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>